**बिहार सरकार**
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक–4/अ0प्र0–07–35/2019 4661 अनु0 /पटना, दिनांक 16/9/2021
प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता (सूची संलग्न),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः– कनीय अभियंताओं की सेवा सम्पुष्टि संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–5232 अनु0 दिनांक–19.11.2020, पत्रांक–87 अनु0 दिनांक–07.01.2021, पत्रांक–1939 अनु0 दिनांक–25.03.2021 एवं पत्रांक–3781 अनु0 दिनांक–11.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–3781 अनु0 दिनांक–11.08.2021 द्वारा विभाग अंतर्गत कार्यरत वैसे कनीय अभियंता जिनकी सेवा संपुष्ट नही है/सेवा संपुष्टि संबंधी साक्ष्य विभाग में संधारित नही है, उनके संबंध में संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो अबतक अप्राप्त है।

ज्ञातव्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–1609 दिनांक–24.05.2011 की कंडिका–3 (क) के तहत पर्यवेक्षकीय संवर्गो तथा समूह 'ग' के कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा (CCAC) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी तरह से सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–3127 दिनांक–06.03.2018 द्वारा निर्गत **"बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018"** की कंडिका–4 में प्रावधानित है कि "विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जिनहोने समय–समय पर आयोजित विहित परीक्षा में भाग लिया हो और असफल रहे हो अथवा सरकारी कार्यों को अत्यावश्यकताओं के कारणों से विहित परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया जा सका हो अथवा उनके 50 वर्ष की आयु पूरा करने के 5 (पाँच) वर्ष पूर्व की निर्धारित अवधि में कभी विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की गई हो"। सुविधा हेतु संगत नियमावली की प्रति संलग्न है।

अतएव परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित कनीय अभियंताओं के हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर परीक्षा की उत्तीर्णता एवं सेवा सम्पुष्टि के संबंध में निम्न विहित प्रपत्र मे साक्ष्य सहित प्रतिवेदन **दिनांक–20.09.2021** तक उपलब्ध कराया जाय। साथ ही उक्त सूची में अंकित वैसे कनीय अभियंता जो सेवा संपुष्टि हेतु अर्हता रखते हैं, उनके सेवा संपुष्टि का प्रस्ताव वांछित अभिलेख यथा सेवा पुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा CCAC परीक्षा उत्तीर्णता का साक्ष्य के साथ अग्रसारित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/9/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–07–35/2019 4661 अनु0 /पटना, दिनांक 16/9/2021

**प्रतिलिपिः**– सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कनीय अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

अनु0ः–यथोक्त।

Email
WEBSITE

16/9/21

अभियंता प्रमुख

Sanjeev Draft 2019 Sec-4

# ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंताओं की सेवा सम्पुष्टि संबंधी विहित प्रपत्र

| क्र0 सं0 | नाम | वर्ष 2017 में प्रकाशित ग्रेडेशन लिस्ट अनुसार ग्रेडेशन संख्या | हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा की स्थिति (उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण )(उत्तीर्ण की स्थिति में साक्ष्य संलग्न किया जाय) | कम्प्यूटर परीक्षा की उत्तीर्णता स्थिति (उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण)(उत्तीर्ण की स्थिति में साक्ष्य संलग्न किया जाय) | जन्म तिथि | 50 वर्ष पूर्ण होने की तिथि | CCAC परीक्षा उत्तीर्णता से विमुक्ति संबंधी विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या. एवं दिनांक (विमुक्ति की स्थिति में) | सेवा सम्पुष्टि की स्थिति (संपुष्ट / असंपुष्ट ) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | | |

# कनीय अभियंता जिनकी के सेवा संपुस्ट नहीं है उनकी विवरणी।

## (As On 09.09.2021)

| क्रमांक | वरीयता क्रमांक | नाम | गृह जिला | जन्म तिथि | सेवा में योगदान की तिथि | सेवा सम्पुष्टि की प्रभावी तिथि / निर्गत का०आ० की तिथि | वर्तमान पदस्थापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 428 | श्री विजय कुमार साव | भागलपुर | 15.04.1968 | अप्राप्त | अप्राप्त | एल०ए०ई०ओ०,का०प्र०–1 बेतिया |
| 2 | 403 | श्री इन्द्रदेव यादव | अरवल | 20.01.1965 | 03.07.1997 | अप्राप्त | एल०ए०ई०ओ०,का०प्र० कटिहार |
| 3 | 295 | श्री कृष्णा प्रसाद | अरवल | 15.01.1964 | अप्राप्त | अप्राप्त | एल०ए०ई०ओ०,का०प्र०–2 सोनपुर |
| 4 | 351 | श्री शादाब अनवर | अररिया | 06.01.1963 | 29.04.1991 | अप्राप्त | एल०ए०ई०ओ०,का०प्र० बाँका |
| 5 | 377 | श्री लक्ष्मी नारायण मुखिया | मधुबनी | 01.07.1968 | अप्राप्त | अप्राप्त | एल०ए०ई०ओ०,का०प्र० सुपौल |
| 6 | 267 | श्री रामाकान्त पाण्डेय | गोपालगंज | 31.12.1962 | अप्राप्त | अप्राप्त | एल०ए०ई०ओ०,का०प्र० नवादा |
| 7 | 157 | मो0 रफीउल इस्लाम | दरभंगा | 15.11.1962 | अप्राप्त | अप्राप्त | एल०ए०ई०ओ०,का०प्र० अरवल |
| 8 | 460 | श्री शिव शंकर | मधुबनी | 15.05.1980 | अप्राप्त | अप्राप्त | नगर विकास विभाग |
| 9 | 531 | श्री प्रमोद कुमार | पूर्वी चम्पारण | 08.08.1972 | अप्राप्त | अप्राप्त | धमदाहा |
| 10 | 488 | श्री मदन कुमार | समस्तीपुर | 02.07.1980 | अप्राप्त | अप्राप्त | ढ़ाका |
| 11 | 164 | श्री महेश मोची | बलिया (यू0पी0) | 03.01.63 | 04.01.1988 | अप्राप्त | बक्सर |
| 12 | 288 | श्री राजेन्द्र मांझी | गोपालगंज | 10.03.1964 | अप्राप्त | अप्राप्त | बलिया |
| 13 | 463 | श्री विश्व प्रताप सिंह | मुंगेर | 01.02.1980 | अप्राप्त | अप्राप्त | बाढ़ |
| 14 | 252 | श्री सुदर्शन | मुजफ्फरपुर | 31.03.1962 | अप्राप्त | अप्राप्त | बेलसंड |
| 15 | 511 | श्री जय प्रकाश राम | जहानाबाद | 22.12.1977 | अप्राप्त | अप्राप्त | बगहा |
| 16 | 265 | श्री राम संजीवन सिंह | पूर्वी चम्पारण | 05.11.1962 | 04.05.1988 | अप्राप्त | महुआ |
| 17 | 307 | श्री छोटु प्रसाद | मुगलसराय (उ0प्र0) | 01.08.1964 | 14.09.1989 | अप्राप्त | मसौढ़ी |
| 18 | 294 | श्री सत्य नारायण पासवान | सीतामढ़ी | 06.06.1962 | 19.09.1989 | अप्राप्त | मुजफ्फरपुर पश्चिम |
| 19 | 505 | श्री जितेन्द्र कुमार | समस्तीपुर | 05.12.1973 | 22.02.2014 | अप्राप्त | मुजफ्फरपुर पश्चिम |
| 20 | 20 | श्री नवीन कुमार सिंह | मुंगेर | 05.01.62 | 11.12.1982 | अप्राप्त | मुजफ्फरपुर पूर्वी–2 |
| 21 | 390 | श्री गणपत प्रसाद गौतम | गोरखपुर | 08.05.1965 | 16.12.1995 | अप्राप्त | त्रिवेणीगंज |
| 22 | 226 | श्री ज्ञानेश कुमार त्रिपाठी | रोहतास | 01.04.1962 | 30.01.1988 | अप्राप्त | किशनगंज–2 |
| 23 | 516 | श्री सुनील कुमार रंजन | दरभंगा | 01.03.1981 | अप्राप्त | अप्राप्त | किशनगंज–2 |
| 24 | 526 | श्री राजेश कुमार | पटना | 30.12.1977 | 14.08.2012 | अप्राप्त | शिवहर |
| 25 | 515 | श्री रविन्द्र कुमार मंडल | भागलपुर | 02.02.1980 | अप्राप्त | अप्राप्त | सिवान–1 |
| 26 | 352 | श्री शंभूनाथ केसरी | गोपालगंज | 08.07.1966 | अप्राप्त | अप्राप्त | डिहरी |
| 27 | 160 | श्री रविकांत कुमार | पटना | 10.05.64 | 01.01.1988 | अप्राप्त | हाजीपुर |
| 28 | 483 | श्री कमलेश कुमार चौधरी | मुजफ्फरपुर | 13.07.1969 | अप्राप्त | अप्राप्त | हाजीपुर |
| 29 | 392 | श्री वीरेन्द्र कुमार | रोहतास | 06.01.1969 | अप्राप्त | अप्राप्त | भभुआ |
| 30 | 246 | श्री दिवाकर तिवारी | गोपालगंज | 01.01.1962 | अप्राप्त | अप्राप्त | भभूआ |
| 31 | 394 | श्री अनील कुमार | सीवान | 15.07.1967 | अप्राप्त | अप्राप्त | भभूआ |
| 32 | 530 | श्री लक्ष्मण प्रसाद यादव | सुपौल | 18.11.1971 | अप्राप्त | अप्राप्त | भागलपुर |

| क्रमांक | वरीयता क्रमांक | नाम | गृह जिला | जन्म तिथि | सेवा में योगदान की तिथि | सेवा सम्पुष्टि की प्रभावी तिथि / निर्गत का०आ० की तिथि | वर्तमान पदस्थापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 470 | श्री कमलेश कुमार | पटना | 03.12.1982 | अप्राप्त | अप्राप्त | पीरो |
| 34 | 442 | श्री रामजी पंडित | भागलपुर | 29.09.1969 | 09.04.1999 | अप्राप्त | पूर्णिया |
| 35 | 416 | श्री सुखित नारायण | दरभंगा | 29.03.1968 | 01.04.1999 | अप्राप्त | रोसड़ा |
| 36 | 503 | श्री राम प्रवेश कुमार | लखीसराय | 05.06.1977 | अप्राप्त | अप्राप्त | राजगीर |
| 37 | 319 | मो0 अबसार आलम | सहरसा | 19.01.1962 | अप्राप्त | अप्राप्त | सासाराम–1 |
| 38 | 406 | श्री विनोद कुमार सिंह | पटना | 16.06.1967 | 19.12.1998 | अप्राप्त | सोनपुर |
| 39 | 466 | श्री राजीव रंजन कुमार | रोहतास | 08.02.1983 | 19.02.2007 | अप्राप्त | सोनपुर |
| 40 | 378 | श्री महेश प्रसाद | मुंगेर | 03.12.1967 | 16.10.1995 | अप्राप्त | सुपौल |
| 41 | 537 | श्री शेखर कुमार सुमन | पूर्णिया | 06.07.1979 | अप्राप्त | अप्राप्त | उदाकिशुनगंज |
| 42 | 333 | श्री नन्दन शर्मा | पूर्वी चम्पारण | 15.07.1965 | 12.04.1991 | अप्राप्त | दाउदनगर |
| 43 | 122 | श्री राम भगवान सिंह | पटना | 03.12.62 | 11.01.1988 | अप्राप्त | वायसी |
| 44 | 493 | श्री आनन्द चौधरी | सुपौल | 24.01.1971 | अप्राप्त | अप्राप्त | फुलपरास |
| 45 | 447 | श्री दिलीप कुमार सुमन | वैशाली | 07.08.1968 | 31.03.1999 | अप्राप्त | जयनगर |
| 46 | 525 | श्री राजीव रंजन | लखीसराय | 01.07.1972 | अप्राप्त | अप्राप्त | जमुई |
| 47 | 434 | श्री नवाब लाल | नालन्दा | 10.10.1971 | 01.04.1999 | अप्राप्त | निलंबित |
| 48 | 518 | श्री चन्द्रदेव प्रसाद | गया | 04.09.1971 | अप्राप्त | अप्राप्त | नरकटियागंज |
| 49 | 534 | श्री बलराम मंडल | भागलपुर | 01.03.1979 | 24.08.2012 | अप्राप्त | नवादा |
| 50 | 379 | श्री मनीष कुमार | समस्तीपुर | 02.01.1973 | 10.10.1995 | अप्राप्त | अरेराज |
| 51 | 487 | श्री कविलेख कुमार | नालंदा | 16.05.1968 | अप्राप्त | अप्राप्त | आरा |
| 52 | 400 | श्री प्रमोद कुमार विद्यार्थी | पटना | 18.02.1967 | 10.07.1997 | अप्राप्त | औरंगाबाद |
| 53 | 478 | श्री सुनील कुमार | गया | 10.01.1969 | अप्राप्त | अप्राप्त | औरंगाबाद |
| 54 | 427 | श्री वृजेश कुमार चौरसिया | गोरखपुर | 10.07.1974 | 06.05.1999 | अप्राप्त | गोपालगंज–1 |
| 55 | 536 | श्री रामचन्द्र प्रसाद | सीवान | 10.03.1971 | अप्राप्त | अप्राप्त | गोपालगंज–2 |

| क्रमांक | वरीयता क्रमांक | नाम | गृह जिला | जन्म तिथि | सेवा में योगदान की तिथि | सेवा सम्पुष्टि की प्रभावी तिथि / निर्गत का0आ0 की तिथि | वर्तमान पदस्थापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | 446 | श्री वीरेन्द्र प्रसाद | नालन्दा | 01.01.1968 | 13.04.1999 | असंपुष्ट | बेगूसराय |
| 57 | 497 | श्री अनिल कुमार | नालन्दा | 05.12.1967 | 24.02.2014 | असंपुष्ट | वायसी |
| 58 | 395 | श्री कमल नारायण शर्मा | पटना | 16.11.1966 | अप्राप्त | असंपुष्ट | धमदाहा |
| 59 | 524 | श्री पुनीत कुमार सिंह | लखीसराय | 24.04.1969 | अप्राप्त | असंपुष्ट | हाजीपुर |
| 60 | 441 | श्री सहदेव चौधरी | नवादा | 06.01.1973 | 01.04.1999 | असंपुष्ट | क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा |

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

**अधिसूचना**

पटना–15, दिनांक–29-5 2011

संख्या –3/एम०– 89 /2010 1609 / भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यरत कर्मियों द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता हासिल करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

**1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–** (1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

(4) यह मात्र सचिवालय सहायकों, पर्यवेक्षकीय संवर्गों एवं समूह 'ग' कर्मियों के संबंध में लागू होगी।

**2. परिभाषाएँ–** इस नियमावली में–

**(क)** 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार, तथा

**(ख)** 'डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसाइटी' से अभिप्रेत है भारत सरकार (सूचना प्रौधोगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था।

**3. कार्यरत कर्मियों हेतु कम्प्यूटर सक्षमता की अर्हता–** (क) राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली, जहाँ सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, में किसी अन्यथा प्रावधान के होते हुए भी, ऐसी प्रत्येक सेवा/संवर्ग में सम्पुष्टि के लिए डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा, में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा, और अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ख) जो सरकारी सेवक पहले से सम्पुष्ट हैं और उन्हें अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने हेतु कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो, को अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी के एक कोर्स जिसका विनिश्चय सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा, में उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा, और अलग से कम्प्यूटर सक्षमता जाँच की आवश्यकता नहीं रहेगी। वेतन वृद्धि पर ऐसी रोक ऐसी उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने तक रहेगी। प्रमाण–पत्र समर्पित होने पर भूतलक्षी प्रभाव से देय वेतनवृद्धि अनुमान्य हो जायेगी, बशर्ते कि प्रमाण–पत्र निर्गत होने में विलम्ब के लिए सरकारी सेवक दोषी नहीं हो।

(ग) उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी उम्र में छूट का कोई प्रावधान यदि किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में की गयी है तो वह प्रभावी रहेगा। 50 वर्ष आयु पूरी कर चुके सरकारी सेवकों को, कतिपय शर्तों के पूरा करने पर, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से छूट के लिए समय–समय पर निर्गत अनुदेश ऐसे मामलों में भी प्रभावी रहेगा।

**4.** उपर्युक्त कोर्स में प्रशिक्षण की व्यवस्था सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा।

**5. अभिभावी प्रभाव**।– राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली के प्रतिकूल किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

**6. प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधानों का निरसन**।– राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधान निरसित समझे जायेंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को, विधि विभाग से विधिक्षा कराकर, तदनुरूप संशोधित कर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24/5/11
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम०– 89 /2010 1609 / पटना, दिनांक 24 मई, 2011

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/5/11
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3/एम०– 89 /2010 1609 / पटना, दिनांक 24 मई, 2011

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ महाप्रबन्धक, बिपार्ड, वाल्मी कैम्पस, पटना/ राज्य अभिलेखागार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, i-WDMS, टी॰सी॰एस॰ कोषांग, वित्त विभाग/ आई॰टी॰ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/11
सरकार के संयुक्त सचिव।

(279)

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 24.5. 2011

संख्या –3/एम०– 89 /2010 1610 / अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24.05.2011 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24/5/11
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

**Government of Bihar**

**General Administration Department**

---

**NOTIFICATION**

**Patna Dt. 24.05. 2011**

No. 3/M- 89 /2010 1609 / In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Gervernor of Bihar is pleased to make following Rules for Computer Competency qualification in appointments by the State Government and achieving computer competency by the working employees-

1. Short title, extent & commencement :— (1)These Rules may be called as the Bihar Government Servants (Computer Competency for recruitment and confirmation) Rules, 2011.

(2)It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

(4) It shall be applicable with respect to the Secretariat Assistants, Supervisory cadres and Group'C' employees only.

2. **Definitions** :— In these Rules-

(a) 'State Government' means Bihar State Government; and

(b) 'DOEACC Society' means an autonomous society of Department of Information Technology, Ministry of communications and Information Technology, Govt of India.

3. **Qualification of Computer Competency for appointment** :— Notwithstanding any otherwise provision contained in a Service/Cadre Rules of the State Government, where computer competency is required for appointments and no special qualification has been prescribed, the certificate of passing a Course of DOEACC Society, which shall be determined by the Information Technology Department, shall be necessary for recruitment to each such Service/Cadre and shall be known as qualification for that.

4. **Qualification of Computer Competency for working employees** :— (a) Notwithstanding any otherwise provision contained in a Service/Cadre Rules of the State Government where passing of Computer computency test is required for confirmation, the certificate for passing a Course of DOEACC Society, which shall be determined by the Information Technology Department, shall be necessary for confirmation in each such service/Cadre, and separate computer competency test shall not be required.

(b) The government servants who are already confirmed, and for whom it is essential to pass computer competency test for getting next increment, the certificate of passing a course of DOEACC Society, which shall be determined by the Information Technology Department shall be necessary for getting next increment and separate computer competency test shall not be required. Withholding of such increment shall remain effective till the receipt of certificate of such passing. After submission of certificate the due increment shall become admissible with retrospective effect, if the delay in grant of certificate is not attributable to the government servant.

(c) Notwithstanding the aforesaid provisions, the provisions regarding age relaxation with respect to passing of examinatin, if made in any service/cadre Rules, shall remain effective. The instruction issued from time to time with respect to relaxation in passing the departmental examination, for government servants who have completed 50 years of age, on fulfulling certain conditions shall remain effective in such cases also.

5. The arrangement for training in the said course shall be arranged by the Information Technology Department. For this the syllabus shall be determined by the Information Technology Department.

6. **Over-riding effect** :— Notwithstanding any provision contained contrary to the provision of these Rules, in a Service/Cadre Rules of the State Government the provision of these Rules shall have over-riding effect.

7. **Repeal of related provision of relevant Cadre Rules** :— The related provisions of relevant Cadre Rules of the State Government shall be deemed to be repealed. The concerned Department shall amend the relevant Cadre Rules accordingly after getting it vetted by the Law Department.

By the order of the Governor of Bihar

24/5/11

(Saryug Prasad)
Joint Secretary to Government

ज्ञापांक– 3/एम०– 89 /2010 1610 / पटना, दिनांक 24 मई, 2011

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/5/11

सरकार के संयुक्त सचिव।

(४७७)

# बिहार सरकार
## सामान्य प्रशासन विभाग

### ।। अधिसूचना ।।

संख्या–03/एम0–11/2017–सा0प्र0–3127/ पटना–15 दिनांक–6·3·2018

भारत–संविधान के अनुच्छेद– 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली **"बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2 परिभाषाएँ।– जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में –

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(ii) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो स्थायी रूप से सृजित पद के विरूद्ध नियमित रूप से सरकारी सेवक के रूप में नियुक्त हो और जिसकी विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति पर इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा रहा हो।

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है किसी सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु विहित नियुक्ति नियमावली/अथवा अन्य अनुदेश में घोषित नियुक्ति प्राधिकार;

(iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है किसी सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित नियुक्ति प्राधिकार;

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का पैतृक विभाग;

(vi) "केन्द्रीय परीक्षा पर्षद" से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 13559 दिनांक–10.10.1961 में विहित केन्द्रीय परीक्षा पर्षद;

(vii) "विहित परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवक के लिये विहित "हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा","कम्प्यूटर परीक्षा" अथवा "विभागीय परीक्षा";

(viii) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है "राजपत्रित पदाधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा नियमावली, 1961" अथवा अन्य सेवा नियमावलियों में विहित विभागीय परीक्षा;

(ix) "हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा" से अभिप्रेत है "बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968" के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन राजभाषा निदेशालय द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा;

(x) "कम्प्यूटर परीक्षा" से अभिप्रेत है "बिहार सरकारी सेवक (समुपष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011" के अधीन आयोजित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा।

3 सरकारी सेवक की विहित परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति पर संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके लिए आवेदन समर्पित करने पर ही विचार किया जाएगा। विमुक्ति आदेश 50 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत आवेदन की तिथि से प्रभावी होगा।

4 विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जिन्होंने समय-समय पर आयोजित विहित परीक्षा में भाग लिया हो, और असफल रहे हों अथवा सरकारी कार्यों की अत्यावश्यकताओं के कारणों से विहित परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया जा सका हो अथवा उनके 50 वर्ष की आयु पूरा करने के 5 (पाँच) वर्ष पूर्व की निर्धारित अवधि में कभी विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की गयी हो।

5 संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के कर्त्तव्य-पालन अथवा उसके कार्यक्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विमुक्ति पर विचार किया जायेगा।

6 विमुक्ति के लिये आवेदन करने वाले संबंधित सरकारी सेवक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/चरित्रपुस्त में प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिये। उनकी सेवा/कार्य संतोषप्रद होना चाहिये। साथ ही उनके विरूद्ध कोई अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं होना चाहिये।

7 किसी विहित परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति पाने का अधिकार आज्ञापक नहीं होगा। किन्तु सक्षम प्राधिकार के लिये विमुक्ति हेतु दिये गये अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करते हुए एक आदेश पारित करना अनिवार्य होगा।

8 विमुक्ति का आदेश संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिये विहित नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन से निर्गत किया जा सकेगा।

9 **विनियमावली बनाने की शक्ति।**- इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियमावली का गठन किया जा सकेगा।

10 **शिथिलिकरण की शक्ति।**- जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।

11. **निर्वचन।**- इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विभाग द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

12. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**- (1) इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-11691 दिनांक-09.11.1983, परिपत्र संख्या-4674 दिनांक-15.05.1992 एवं परिपत्र संख्या-4368 दिनांक-28.08.2009 तथा समय-समय पर पूर्व में निर्गत अन्य नियमावली/परिपत्र/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत नियमावली/परिपत्र/आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/3/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–3/एम0–11/2017–सा0प्र0– 3127 /पटना–15, दिनांक 6·3·18

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

6/3/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–11/2017–सा0प्र0– 3127 /पटना–15, दिनांक 6·3·18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव